



Neutral Citation No.-2026:AHC:7022

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-42888 वर्ष 2024

उमा शंकर सिंह आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: हेमंत कुमार दुबे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। सूचनाकर्ता के अधिवक्ता मौजूद नहीं हैं।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री हेमंत कुमार दुबे, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण कुमार मिश्रा को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2024 के अपराध संख्या-176 में धारा 302, 506 भ०द०वि० और 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना-गौरी बाजार, जिला: देवरिया के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी में लगभग दो दिन की देरी हुई है और उक्त देरी के कारण कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि चश्मदीद गवाहों को बाद में अभियोजन पक्ष द्वारा खरीदा गया है और वे सच्चे चश्मदीद गवाह नहीं हैं, बल्कि उन्होंने आवेदक और सह-आरोपी व्यक्ति को घटनास्थल से भागते हुए देखा था, लेकिन बाद में, विवेचनाधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अपने बयानों में कहा गया है कि उन्होंने आवेदक और सह-आरोपी व्यक्ति को मृत व्यक्ति पर हमला करते हुए देखा था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि प्राथमिकी मृतक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट और शव परीक्षण परीक्षा के बाद स्थापित की गई थी और उस स्तर पर आवेदक के खिलाफ एक शब्द भी संकेत नहीं गया था, जो इंगित करता है कि यह झूठे निहितार्थ का एक स्पष्ट मामला है। इस प्रकार, आवेदक जमानत का हकदार है।

7. आवेदक के अधिवक्ता ने अगला तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 24.4.2024 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

8. अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में है और मुकदमा चल रहा है और चार गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है।

9. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 8.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, चार गवाहों से पूछताछ की गई है और अ०सा०-4 से जिरह की जा रही है।

10. "जब तक दोषी साबित न हो जाए" का प्रसिद्ध सिद्धांत एक नियम के रूप में जमानत और अपवाद के रूप में कारावास की अवधारणा को जन्म देता है।

11. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता है क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है जब तक कि अपराध एक उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी का भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एस.सी.सी. 51 में दोहराया गया है।

12. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आई.एन.एस.सी. 595 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि



कानून के बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, को भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालयों को इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।

13. अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी किसी भी असाधारण परिस्थितियों को सामने नहीं ला सके जो आवेदक को जमानत से इनकार करने की गारंटी दे।

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, प्राथमिकी के गठन में दो दिनों की देरी को ध्यान में रखते हुए और निकट भविष्य में मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं होने पर, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम रूप से, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

15. आवेदक- उमा शंकर सिंह, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

16. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 12, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)